(वाद संख्या–1037/17)

03.09.2019

परिवादी रमेश कुमार, उपस्थित हैं।

परिवादी को सुना।

आयोग के दिनांक–02.05.2019 के आदेशानुसार नूतन पासवान, पत्नी श्री नरेन्द्र पासवान, निवास स्थान–गीत इनक्लेभ, बेउर, पटना को आयोग में उपस्थित होने हेतु निर्देश दिया गया था। साथ ही साथ वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्रसंगाधीन मामले के संबंध में सुस्पष्ट जाँच–प्रतिवेदन आयोग को समर्पित करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन आज न तो श्रीमती पासवान ही आयोग के समक्ष उपस्थित हुई और न ही वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना द्वारा वांछित प्रतिवेदन आयोग को समर्पित किया गया।

यहां यह उल्लेखनीय है कि वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना को आयोग द्वारा प्रसंगाधीन मामले में प्रतिवेदन देने हेतु पांच बार स्मारित किया गया है साथ ही साथ गत तिथि को उन्हें यह स्पष्ट रूप से आदेशित किया गया था कि अगर उनके द्वारा वांछित प्रतिवेदन समर्पित करने में लापरवाही बरती जाएगी तो आयोग को बाध्य होकर वरीय पदाधिकारियों को इस संबंध में सूचित करना पड़ेगा।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना द्वारा बार–बार आयोग के आदेश के अनुपालन में लापरवाही बरती जा रही है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना को वांछित प्रतिवेदन के साथ दिनांक–07.01.2020 को आयोग के समक्ष उपस्थिति हेतु नोटिस निर्गत किया जाय तथा **पत्र की एक प्रति पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ व आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।**

आज परिवादी की उपस्थिति में आदेश पारित किया गया है। अतः अगली निश्चित तिथि की सूचना के संबंध में नोटिस निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है।

संचिका दिनांक–07.01.2020 को उपस्थापित किया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक